रजिस्टर्ड नं0 ल033/एस0एम0 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 अगस्त, 1989/23 श्रावण, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खंड)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 6 सितम्बर, 1988

सं0 एल0एल0आर0–9, 88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई ऐक्ट, 1968 (1969 का 8)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश जल प्रदाय अधिनियम, 1968

(1969 का 8)

(24 मार्च, 1969) (31-7-88 को यथाविद्यमान)

हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामणी क्षेत्रों में जल प्रदाय कार्यों के विकास, नियन्त्रण और प्रबन्ध का उपबन्ध करन क लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल प्रदाय अधिनियम, 1968 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्व होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो—

(i) "हिताधिकारी" से किसी जल प्रदाय स्कीम के बारे में, कोई स्थानीय प्राधिकरण अभिप्रेत है जो तत्समय ऐसी स्कीम से प्रसुविधा प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करेगा ;

(ii) "उपभोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे हिताधिकारी से, जिसे जलदाय स्कीम सौंपी जा सके, जल लेता है या जो ऐसी जल प्रदाय स्कीम से जल लेता है जिसका प्रबन्ध सीधा सरकार द्वारा किया जाता है;

स्पष्टीकरण :—उपभोक्ता के अन्तर्गत हिताधिकारी नहीं है ।

(3) "सहकारी सोसाइटी" से सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1956 (1956 का 13) या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966(1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है;

(4) "राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है;

(5) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(6) "ग्राम पंचायत" "पंचायत समिति" और "जिला परिषद" के वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) में इन अभिव्यक्तियों के क्रमशः हैं;

(7) "स्थानीय प्राधिकरण" से सहकारी सोसाइटी, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा जल प्रदाय स्कीम का विकास अथवा नियंत्रण या प्रबन्ध सौंपा गया है;

(8) "नगर पालिका" और "अधिसूचित क्षेत्र समिति" के वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) में इन अभिव्यक्तियों क क्रमशः हैं;

(9) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(10) "ग्रामीण क्षेत्र" से शहरी क्षेत्र का अपवर्जन करके, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(11) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(12) "स्कीम" से धारा 3 के अधीन आरम्भ की गई जल प्रदाय स्कीम अभिप्रेत है;

(13) "शहरी क्षेत्र" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट नगर अभिप्रेत है;

(14) "जल रेट" से सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन तत्समय उदगृहीत प्रभार अभिप्रेत है;

जल प्रदाय स्कीम।

3. राज्य सरकार, समय-समय पर, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनता के फायदे क लिए पयजल स्कीमें आरम्भ कर सकेगी और विद्यमान जल प्रदाय का अनुरक्षण और सुधार कर सकेंगी।

4. × × × ×

जल रेट का उदग्रहण।

5. राज्य सरकार, सरकार द्वारा सीधें प्रबन्ध की जा रही जलप्रदाय स्कीम से या ऐसे हिताधिकारी द्वारा, जिसे स्कीम सौंपी जाए, उपभोक्ता को प्रदाय किए गए जल के लिए, ऐसी दरों पर जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जल रेट उद्गृहीत करेगी।

(2) व्यक्तियों से जल प्रभार की वसूली फलैट रेट या मीटर कनैकशन के आधार पर की जाएगी।

(3) उदगृहीत जल रेट, यदि देय होने के समय संदत्त नहीं किया जाता है तो यह ऐसे वसूल किया जाए मानों कि यह भू-राजस्व की बकाया हो।

जल प्रदाय स्कीमों को सौंपना।

6. (1) जहां स्थानीय प्राधिकरण किसी स्कीम को हिताधिकारी के रूप में ग्रहण करने और अनुरक्षित करने के लिए तैयार हो, राज्य सरकार, ऐसी स्कीम का विकास, प्रबन्ध या नियंत्रण एसे स्थानीय प्राधिकरण को एसी शर्तें के अधीन रहते हुए सौंपगी, जैसी राज्य सरकार उचित समझे।

(2) स्थानीय प्राधिकरण जो स्कीम को इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन ग्रहण करता है, ऐसे जल रेट निर्धारित करेगा जैसे वह आवश्यक समझे और ऐसी स्कीम के पर्याप्त प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जल रेट, जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निश्चित किया जाए, किसी भी दशा में, सरकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट जल रेट से अधिक नहीं होगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा उदगृहीत जल रेट, यदि कोई हो, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे रेट के नियत किए जान पर प्रभावहीन हो जाएग।

राज्य सरकार द्वारा सामान्य नियन्त्रण ।

7. (1) हिताधिकारियों द्वारा धारा 6 के अधीन ग्रहण की गई सभी स्कीमें, राज्य सरकार के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी और स्कीम को कार्यप्रणाली का नियतकालिक निरीक्षण राज्य सरकार के अभिकरण द्वारा विहित रीति में किया जाएगा ।

(2) यदि हिताधिकारी इस अधिनियम के अधीन या इस द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या निरन्तर व्यतिक्रम करता है, या अपनी शक्तियों से अधिक या इनका दुरुपयोग करता है या स्कीम का दक्षतापूर्ण रीति में अनुरक्षण करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, जिसमें ऐसा करने के लिए कारणों का विवरण दिया जाएगा, हिताधिकारी से स्कीम का विकास, प्रबन्ध या नियंत्रण वापस ले सकेगी :

परन्तु उप-धारा (2) में वर्णित अधिसूचना के जारी किए जाने से पूर्व, हिताधिकारी को, विहित रीति में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध युक्तियुक्त कारण बताने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) जब विकास, प्रबन्ध और नियंत्रण इस तरह वापस लिया जाए, तो इसके निम्नलिखित आगामी परिणाम होंगे :—

(क) स्कीम का विकास, प्रबन्ध और नियंत्रण अधिसूचना की तरीख से राज्य सरकार में निहित होगा;

(ख) हिताधिकारी द्वारा उदगृहीत जल रेट तब तक प्रवर्तन में रहेगा, जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए जल रेट से प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता ।

(4) राज्य सरकार, स्थिति का ऐसे अन्तराल पर जैसा कि विहित किया जाए, किन्तु जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, पुनरीक्षण करेगी और यदि यह किसी समय उचित समझे तो पुनः स्कीम हिताधिकारी को सौंपेगी ।

उपभोक्ता का दायित्व।

8. (1) ऐसा उपभोक्ता जिसके नाम पर जल कनैकशन रजिस्ट्रीकृत है, हिताधिकारी को जल रेट संदत्त करने के लिए दायी होगा, यदि स्कीम प्रबन्ध या जल प्रदाय के नियंत्रण के लिए कोई हिताधिकारी को सौंपी गई है ।

(2) यदि कोई हिताधिकारी नहीं है और जल प्रदाय स्कीम का प्रबन्ध सीधा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हो, तो उपभोक्ता राज्य सरकार को जल रेट संदत्त करन का दायी होगा ।

अनुसूची में उपांतरण करने की राज्य सरकार की शक्तियां ।

9. राज्य सरकार को अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या विखंडन करने की शक्ति होगी ।

अरद्ध नियम के अधीन अपराध ।

10. (1) जो कोई भी व्यक्ति, उचित प्राधिकार के बिना और स्वेच्छा से निम्नलिखित कार्य करता है, अर्थात :—

(क) किसी जल प्रदाय स्कीम के जल को इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करता है कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए सामान्यतः इसे प्रयुक्त किया जाता है, कम उपयुक्त हो जाता है;

(ख) राज्य सरकार या हिताधिकारी द्वारा जल प्रदाय स्कीम के अधीन शोधन, भण्डारकरण या पूर्ति के लिए निर्मित, सुरक्षित या निर्मित, सुरक्षित या नियंत्रित किसी बांध, कुंए, तटबन्ध, स्लूस, जलाशय, नाली, नल, संरचना या अन्य कार्यों को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, परिवर्तित करता है, बाधा या क्षति पहुंचाता है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी ऐसे नियम का अतिक्रमण करता है जिसके भंग के लिए शास्ति उपगत हो, तो ऐसे वर्ग के मैजिस्ट्रेट द्वारा, जैसा राज्य सरकार विहित रीति में इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे, दोषसिद्ध किए जाने पर पांच सौ रुपये से अनधिक जुर्माने या एक मास से अनधिक कारावास या दोनों के लिए दायी होगा ।

(2) इस में इसकी कोई भी बात, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने से निवारित नहीं करेगी, किन्तु किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जाएगा ।

(3) इसमें इसकी कोई भी बात, यथास्थिति, राज्य सरकार या किसी हिताधिकारी को, इस धारा की उप-धारा (1) में वर्णित किसी अपराध को करने वाले व्यक्ति से, नुकसानी वसूल करने से निवारित नहीं करेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

11. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम इस प्रकार विहित कर सकेंगे :—

(क) वे सिद्धान्त और शर्तें जिन पर धारा 3 के अधीन स्कीम आरम्भ की जाएगी;

(ख) व सिद्धान्त जिनका धारा 5 के अधीन जल रेट नियत करने में अनुसरण किया जाएगा;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन जल प्रदाय स्कीम स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जाएगी; और

(घ) धारा 6 क अधीन जल प्रदाय स्कीम के हिताधिकारी द्वारा दक्षतापूर्ण प्रबन्ध सुनिश्चित करन क लिए, धारा 5 के अधीन नियुक्त की गई समिति; और

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि क लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरा हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र क अवसान मे पूर्व, विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या

निपप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नगरपलिका के अधिकार।

12. इस अधिनियम के उपबन्ध, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का 19) के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा उपभोग किए जा रहे अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां।

13. (1) प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त "दि हिमाचल प्रदेश बाटर सप्लाई ऐक्ट, 1956 (1956 का 15) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई कोई बात या कार्रवाई जारी किए गए किसी आदेश, अधिसूचना और बनाए गए नियम सहित, जहां तक इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त तत्स्थानी शक्तियों के प्रयोग में की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

जिला महासू

ठियोग, रामपुर, सोलन, जुब्बल और अर्की ।

जिला सिरमौर

नाहन, सराहन, पांवटा साहिब, माजरा और राजगढ़ ।

जिला चम्बा

चम्बा, भरमौर, चौवाड़ी, तिसा और भान्दल ।

जिला मण्डी

मण्डी, जोगिन्दरनगर, सरकाघाट, सुन्दरनगर और करसोग ।

जिला बिलासपुर

नया बिलासपुर टाउनशिप और धुमारवीं ।

जिला किन्नौर

पिओ, करछम, सांगला, कल्पा, पवारी, पांगी और कानम ।

जिला कांगड़ा

कांगड़ा, धर्मशाला, देहरा गोपीपुर, पालमपुर, बैजनाथ, ऊना, और नूरपुर।

जिला शिमला

*

शिमला, कण्डाघाट, नालागढ़, धर्मपुर और कसौली ।

जिला कुल्लू

कुल्लू मनाली,, बन्जार, निरमण्ड, आऊटर सिराज में आनी ।

लाहौल और स्पिति

किलौंग और काजा ।

शिमला–171002, 6 सितम्बर, 1988

सं0 एल0 एल0 आर0-(11)/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक-उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश रिक्वीजिशनिंग एण्ड ऐक्विजीशन आफ इम्मूवैबल प्रापर्टी एक्ट, 1972 (1973 का 20)" क, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश दत हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1972

(1973 का 20)

(13 जुलाई, 1988) (10-8-1988 को यथा विद्यमान)।

राज्य के प्रयोजनों के लिए स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन करने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेइस्वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और कालावधि।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1972 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, दस वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनिर्णय" से धारा 10 के अधीन मध्यस्थ द्वारा किया गया कोई अधिनिर्णय अभिप्रेत है ;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन, एसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के पालन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) "भू-स्वामी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो तत्समय किसी परिसर का चाहे अपने वास्ते या किसी अन्य व्यक्ति के वास्ते या उसकी ओर से, या उसके फायदे के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए न्यासी संरक्षक या रिसीवर के रूप में किराया प्राप्त करने का हकदार है, या जो इस प्रकार किराया प्राप्त करता या प्राप्त करने का हकदार होता, यदि परिसर किसी अभिधारी को किराए पर दिए गए होते ;

(ङ) "शासकीय राजपत्र" से राजपत्र हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(च) किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में "हितबद्ध व्यक्ति" पद के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन, उस सम्पत्ति के अधिग्रहण या अर्जन, कारण संदेय में हित का दावा करने वाले या दावा करने का हकदार, सभी व्यक्ति हैं ;

(छ) "परिसर" से कोई इमारत या इमारत का भाग अभिप्रेत है ; और

(i) ऐसी इमारत या इमारत के भाग से सम्बंधित उद्यान, मैदान, उपगृह, यदि कोई हो ;

(ii) ऐसी इमारत या इमारत के भाग के उपभोग के लिए उसमें की गई कोई फिटिंग ;

इसके अन्तर्गत है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "सम्पत्ति" से हर प्रकार की स्थावर सम्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति में या उसके बारे में कोई अधिकार है,

(ञ) "अभिधारी" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिस द्वारा या जिसकी ओर से किसी परिसर का किराया संदेय है और इसके अन्तर्गत ऐसे उप-अभिधारी और अन्य व्यक्ति हैं जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा अभिधारी के अधीन हक व्युत्पन्न हुआ है।

स्थावर-सम्पति का अधिग्रहण करने की शक्ति।

3. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि कोई सम्पत्ति किसी लोक प्रयोजन के लिए, जो राज्य का प्रयोजन है आवश्यक है या आवश्यक होनी संभाव्य है और सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकारी,—

(क) स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति से, जिसका सम्पत्ति पर कब्जा हो, लिखित नोटिस द्वारा (उसमें अधिग्रहण का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हुए) ऐसे नोटिस की उस पर तामील होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि सम्पत्ति क्यों अधिगृहीत नहीं की जानी चाहिए ; और

(ख) आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि पूर्व अनुमति के न तो सम्पत्ति का स्वामी, न कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना सम्पत्ति का व्यय न करेगा या उसमें संरचनात्मक परिवर्त्तन करेगा, या अभिधारी को किराए पर देगा, जब तक कि दो मास से अनधिक ऐसी अवधि का अवसान नहीं हो जाता, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) यदि, सम्पत्ति में हितबद्ध या सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए हेतुक पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जो अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग का,—

(क) जिसका उसके स्वामी द्वारा वास्तव में अपने या अपने कुटुम्ब के निवास के रूप में प्रयोग किया जाता है ; या

(ख) जिसका या तो जनता द्वारा अनन्यतः धार्मिक पूजा के लिए या पाठशाला, अस्पताल, लोक पुस्तकालय या अनाथालय के प्रबन्ध से संबंधित व्यक्तियों द्वारा वास सुविधा के प्रयोजन क लिए प्रयोग किया जाता है, अधिग्रहण नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां अधिगृहीत सम्पत्ति ऐसे परिसर से मिलकर बनी है, जिनका प्रयोग अभिधारी द्वारा उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील की तारीख से ठीक पूर्व दो मास से अन्यून अवधि के लिए निवास के रूप में किया जा रहा है, । वहां सम्पत्ति का कब्जा तब तक लिया जाएगा जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिधारी के लिए एसी आनुकल्पिक वास सुविधा की व्यवस्था नहीं कर दी जाती जो उसकी राय में उपयुक्त हो।

अधिगृहित सम्पति का कब्जा लेने की शक्ति।

4. (1) जहां धारा 3 के अधीन कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की गई है, वहां सक्षम प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति को भी, जिसका सम्पत्ति पर कब्जा हो, उस सम्पत्ति का कब्जा, सक्षम प्राधिकारी को या उस द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप

से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करने का आदेश द सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन करने से इनकार करता है या असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी सम्पत्ति का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो।

(3) उप-धारा (2) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे का परिदान, उस सम्पत्ति के बारे में सरकार का समस्त दायित्वों से उन्मोचन होगा, किन्तु यह उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जिनको कि वह विधि की समयक् प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रवृत करने के हकदार है जिसे सम्पत्ति का कब्जा दिया जाता है।

(4) जहां कोई व्यक्ति जिसको अधिगृहीत सम्पत्ति का कब्जा दिया जाना है, उपलब्ध नहीं है और उसकी ओर से परिदान स्वीकार करने के लिए उसका कोई अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति सशक्त नहीं है, सक्षम प्राधिकारी एक नोटिस यह घोषणा करते हुए कि सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाती है, सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर लगवाएगा और राजपत्र में भी नोटिस प्रकाशित कराएगा।

(5) जब उप-धारा (4) में निर्दिष्ट, नोटिस राजपत्र में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति, ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से अधिग्रहण के अधीन नहीं रह जाएगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसका परिदान उस व्यक्ति को किया गया है जो उसके कब्जे का हकदार है और सरकार उस तारीख के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(6) जहां इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत कोई सम्पत्ति या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग अग्नि, भूकम्प, आंधी, बाढ़ या सेना की संक्रिया या भीड़ द्वारा हिंसा या अन्य अप्रतिरोध्य बल के कारण पूर्णतः नष्ट हो जाता है या सारतः और स्थायी रूप से उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए उसे अधिगृहीत किया गया था अनुपयुक्त हो जाता है, वहां सरकार के विकल्प पर, अधिग्रहण, विधि शून्य होगा:

परन्तु इस उप-धारा का फायदा सरकार को वहां उपलब्ध नहीं होगा जहां ऐसी सम्पत्ति को क्षति सरकार के दोषपूर्ण कार्य या व्यतिक्रम से हुई हो।

अधिगृहीत सम्पति पर अधिकार।

5. (1) धारा 3 के अधीन अधिगृहीत समस्त सम्पत्ति का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा जो अधिग्रहण के नोटिस में वर्णित हो।

(2) जहां धारा 3 के अधीन कोई परिसर अधिगृहीत किए गए हैं, सक्षम प्राधिकारी, भू-स्वामी को आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी मुरम्मत जो आवश्यक हो और उस परिक्षेत्र में भू-स्वामियों द्वारा प्राय: की जाती हो, और जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए युक्तियुक्त समय के भीतर करेगा जो उसमें वर्णित किया जाए, और यदि भू-स्वामी ऐसे आदेश के अनुसरण में किसी मुरम्मत को करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी, आदेश में विनिर्दिष्ट मुरम्मत को भू-स्वामी के खर्च पर करवा सकेगा और उसकी लागत की कटौती वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू-स्वामी को संदेय प्रतिकर में से की जा सकेगी।

अधिग्रहण से निर्मुक्त।

6. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत किसी सम्पत्ति को, किसी भी समय, अधिग्रहण से निर्मुक्त कर सकेगा और सम्पत्ति को, यथासम्भव उतनी अच्छी हालत में, जितनी में वह उस समय थी जब उसका कब्जा लिया गया था, केवल युक्तियुक्त टूट-फूट और अप्रतिरोध बल द्वारा कारित परिवर्तनों के अधीन रहते हुए प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु जहां वे प्रयोजन, जिन के लिए अधिगृहीत सम्पत्ति का प्रयोग किया जा रहा था, अस्तित्वहीन हो जाते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी, उस सम्पत्ति को, यदि सम्पत्ति धारा 9 के अधीन अर्जित न की ई हो, अधिग्रहण से यथाशीघ्र, निर्मुक्त करेगा।

(2) जहां कोई सम्पत्ति अधिग्रहण से निर्मुक्त की जाती है, सक्षम प्राधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह किसी मामले में करना या कराना आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को बिनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसको सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा, और ऐसा कब्जा यथासाध्य, उस व्यक्ति को जिससे अधिग्रहण के समय कब्जा लिया गया था या ऐसे व्यक्ति के हित उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन।

7. (1) किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात, स्वामी या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इसे अधिग्रहण से निर्मुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आवेदन सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व किया जा सकेगा, यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिन पर कि स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन कारण बताने के लिए दिए गए अवसर पर जोर न दे सका हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति से, ऐसी जानकारी मंगाने पर जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए अतिरिक्त आवेदन।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 7 के अधीन अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन के नामंजूर किए जाने और धारा 13 के अधीन सरकार के समक्ष दाखिल अपील के भी नामंजूर किए जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए अगला आवेदन पत्र दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के अवसान पर्यन्त ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु स्वामी या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, प्रथम अपील की नामंजूरी से दो वर्ष के भीतर दूसरा आवेदन किया जा सकेगा, यदि तत्पश्चात् ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों जिन पर वह पूर्ववर्ती आवेदन में जोर न दे सका हो।

अधिगृहित सम्पति को अर्जित करने की शक्ति।

9. (1) जहां कोई सम्पत्ति अधिग्रहण के अधीन है, वहां यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक प्रयोजन के लिए सम्पत्ति का अर्जन करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र में उस आशय का नोटिस प्रकाशित करके कि सरकार ने इस धारा के अनुसरण में सम्पत्ति अर्जित करने का विनिश्चय किया है, ऐसी सम्पत्ति को किसी भी समय अर्जित कर सकेगी :

परन्तु ऐसा नोटिस जारी करने से पूर्व सरकार, स्वामी या किसी व्यक्ति से, जो सरकार की राय में ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध हो या कारण बताने की अपेक्षा करेगी कि सम्पत्ति क्यों अर्जित नहीं की जानी चाहिए, सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए हेतुक पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार, ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह उचित समझे ।

(2) जब यथापूर्वोक्त नोटिस राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो अधिगृहीत सम्पत्ति, उस दिन को और उसके प्रारम्भ से जिसको नोटिस इस प्रकार प्रकाशित किया जाता है, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यंतिक रूप से सरकार में निहित हो जाएगी और ऐसी सम्पत्ति की अधिग्रहण-अवधि समाप्त हो जाएगी ।

(3) इस धारा के अधीन निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाए, कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां, अधिग्रहण की अवधि के दौरान सम्पत्ति पर, में या ऊपर पूर्णतः या भागतः सरकार के खर्च पर कोई संकर्म किए गए हों और सरकार विनिश्चय करती है कि ऐसे संकर्मों का मूल्य या प्रयोग करने का अधिकार राज्य के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित या परिरक्षित किया जाना चाहिए; या

(ख) जहां सम्पत्ति को उस हालत में प्रत्यावर्तित करने की लागत, जिसमें वह अधिग्रहण के समय थी, सरकार के अवधारणानुसार अत्यधिक होगी और स्वामी सम्पत्ति को ऐसे प्रत्यावर्तित किए जाने के लिए प्रतिकर के संदाय के बिना सम्पत्ति की अधिग्रहण से निर्मुक्ति को स्वीकार करने से इन्कार करता है ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन सरकार का कोई विनिश्चय या अवधारण अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में वह प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(5) उप-धारा (3) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए "संकर्म" के अन्तर्गत भवन संरचनाएं और हर प्रकार का सुधार है ।

प्रतिकर अवधारण करने के सिद्धान्त और ढंग ।

10. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई सम्पत्ति अधिगृहीत या अर्जित की जाती है, वहां प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी राशि इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित रीति और सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां प्रतिकर की राशि करार द्वारा निश्चित की जा सकती है, वहां यह करार के अनुसार संदत्त की जाएगी;

(ख) जहां इस प्रकार का करार नहीं हो पाता है, वहां सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है, या उस रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगी;

(ग) सरकार किसी विशिष्ट मामले में ऐसे व्यक्ति को जिसे अधिगृहीत या अर्जित सम्पत्ति की प्रकृति के बारे में विशेषज्ञीय जानकारी प्राप्त है, मध्यस्थ की सहायता करने के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकेगी और जहां ऐसा नाम निर्देशन किया जाता है, वहां वह व्यक्ति जिसे प्रतिकर दिया जाना है, उस प्रयोजन के लिए किसी मूल्यांकक (असेसर) को नाम निर्देशित सकेगा;

(घ) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारम्भ पर, सरकार और वह व्यक्ति जिसे प्रतिकर दिया जाना है, यह बताएंगे कि उनकी अपनी-अपनी राय में प्रतिकर की उचित रकम क्या है;

(ङ) मध्यस्थ विवाद की सुनवाई के पश्चात् प्रतिकर की रकम को जो उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है, अवधारित करते हुए और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिन्हें ऐसा प्रतिकर दिया जाएगा, अधिनिर्णय देगा, और अधिनिर्णय देने में वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को और उप-धारा (2) और (3) के उपबन्धों का वहां तक जहां तक वे लागू होते हैं, ध्यान रखेगा;

(च) जहां इस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के बारे में, जो प्रतिकर के हकदार हैं, विवाद है, वहां मध्यस्थ ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि मध्यस्थ को यह मालूम होता है कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार है, तो वह उसकी रकम को ऐसे व्यक्तियों में प्रभाजित कर देगा;

(छ) मध्यस्थम अधिनियम, 1940 (1940 का 10) की कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थों को लागू नहीं होगी ।

(2) किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए देय प्रतिकर की रकम निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) अधिग्रहण की कालावधि की बाबत इतना आवर्ती संदाय, जितना उस किराये के बराबर है जो उस सम्पत्ति के उपयोग और अधिभोग के लिए उस दशा में देय होता जिसमें कि वह सम्पत्ति उस कालावधि के लिए पट्टे पर ली गई होती; और

(ख) ऐसी राशि या राशियां यदि कोई हों, जो निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों में हितबद्ध व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक पाई जाएं, अर्थात् :—

(i) अधिग्रहण के कारण हुई धन की हानि;
(ii) अधिगृहीत परिसर को खाली करने में हुए व्यय;
(iii) अधिग्रहण से निर्मुक्त होने पर परिसरों पर पुनः अधिभोग करने में लगे व्यय;
(iv) अधिग्रहण की कालावधि के दौरान सम्पत्ति पर (साधारण टूट-फूट से अन्यथा) हुई नुक्सानी, जिनके अन्तर्गत वे व्यय आते हैं। जिन्हें सम्पत्ति को उस दशा में प्रत्यावर्तित करने में उपगत करना पड़ा है, जिसमें वह अधिग्रहण के समय थी।

(3) धारा 9 के अधीन सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए देय प्रतिकर वह कीमत होगी जिस पर अधिगृहीत सम्पत्ति खुले बाजार में तब बिकती, जब कि वह उसी दशा में रहती, जिसमें वह अधिग्रहण के समय थी और अधिग्रहण की तारीख को बेची गई होती।

(4) जहां कहीं प्रतिकर में कई व्यक्ति हितबद्ध हैं, वहां सरकार के लिए या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन पर, स्वयं उसे या किसी अन्य मध्यस्थ को विवाद के सम्बन्ध में अधिनिर्णय या अनुपूरक अधिनिर्णय देने के लिए नियुक्त करना, विधिपूर्ण होगा ।

प्रतिकर का संदाय ।

11. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, अधिनिर्णय के अधीन देय प्रतिकर की रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को, ऐसी रीति में और इस समय के भीतर, जो अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट किया जाए, संदत्त की जाएगी या दी जाएगी ।

अधिग्रहण आदेशों से अपीलें।

12. (1) धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अधिग्रहण आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, तो वह उक्त इक्कीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझें और सरकार का आदेश अन्तिम होगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन अपील की जाए, सरकार सक्षम प्राधिकारी के आदेश का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर रोक सकेगी जैसी वह उचित समझें।

अधिग्रहण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अपील।

13. (1) धारा 7 और 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर, सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार, यदि इसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से, पर्याप्त हेतुक से, निवारित हुआ था तो वह उक्त इक्कीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जसी वह आवश्यक समझें, ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझें और सरकार के आदेश अन्तिम होंगे।

प्रतिकर संबंधी अधिनिर्णयों से अपीलें।

14. धारा 10 के अधीन किए गए मध्यस्थ के अधिनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता में अधिगृहीत या अर्जित सम्पत्ति स्थित है :

परन्तु उच्च न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक से समय पर अपील दाखिल करने से निवारित रहा था, तो वह तीस दिन की उक्त अवधि क पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

सक्षम प्राधिकारी और मध्यस्थ को सिविल न्यायालयों की कतिपय शक्तियों का प्राप्त होना।

15. सक्षम प्राधिकारी और धारा 10 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ को, यथास्थिति, जांच या मध्यस्थम कार्यवाही करते समय निम्नलिखित मामलों क सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की व सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन बाद का विचारण करते समय उस प्राप्त होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा कराना ;
(ख) किसी दस्तावज का प्रकटीकरण और उसे पेश किया जाना;
(ग) साक्ष्य का शपथ पर लिया जाना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभ्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति।

16. सरकार या सक्षम प्राधिकारी, धारा 3 या धारा 6, या धारा 9 या धारा 10, के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से कि वह व्यक्ति ऐसे अधिकारी को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपने पास की ऐसी कोई जानकारी को देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस अधिनियम क अधीन अधिगृहीत या अर्जित की जाने के लिए आशयित किसी सम्पत्ति क सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट को जाए ।

प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति।

17. सक्षम प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित साधारण या विशेष, आदेश द्वारा सशक्त कोई अधिकारी यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश दिया जाना चाहिए और यदि दिया जाना चाहिए तो किस रीति में या इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा।

नोटिस और आदेशों की तामील।

18. (1) इस धारा और किन्हीं नियमों के उपबन्धों के, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम क अधीन जारी किया गया या दिया गया प्रत्येक नोटिस या आदेश, –

(क) साधारण स्वरूप या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाले नोटिस या आदेश की दशा में राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ;

(ख) किसी व्यष्टिक, निगम या फर्म को प्रभावित करने वाले किसी नोटिस या आदेश की दशा में, उसकी तामील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के, यथास्थिति, आदेश XXIX के नियम 2 या आदेश XXX के नियम 3 में समन की तामील के लिए उपबन्धित रीति में की जाएगी ; और

(ग) व्यष्टिक व्यक्ति (जो निगम या फर्म नहीं है) को प्रभावित करन वाले नोटिस या आदेश की दशा में उसकी तामील, ऐसे व्यक्ति पर —

(i) इसे उस व्यक्ति को परिदत्त या निविदित्त करके;

(ii) यदि इस इस प्रकार उसे परिदत्त या निविदत्त नहीं की जा सकती है, तो उसे ऐसे व्यक्ति क किसी अधिकारी या कुटुम्ब के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य को परिदत्त या निविदत्त करक या उसकी एक प्रति उस परिसर क, जिसक बारे में यह ज्ञात है कि उसमें उस व्यक्ति ने अन्तिम बार निवास किया है, या कारबार किया है या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभों के लिए कार्य किया है, बाह्य द्वार या किसी सहज दृश्य भाग पर लगा कर या, इन साधनों द्वारा तामील करने में असफल रहने पर ;

(iii) डाक द्वारा की जाएगी।

(2) जहां सम्पत्ति का स्वामित्व विवादग्रस्त है या जहां सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता और नोटिस या आदेश की तामील असम्यक् बिलम्ब के बिना न की जा सकती हो, वहां नोटिस या आदेश की तामील इसे राजपत्र में प्रकाशित करके, और जहां तक सम्भव हो, उस सम्पत्ति के जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहज दृश्य भाग पर उसकी एक प्रति लगा कर, की जा सकेगी ।

सुखाचार में विघ्न डालना।

19. इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत या अर्जित किसी सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित सहमति के बिना या मुरम्मत करने या नगरपालिका की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के प्रयोजनों के सिवाये, जानबूझ कर ऐसी सम्पत्ति से संलग्न सुविधा या सुखाचार में विघ्न नहीं डालेगा या उसके

साथ स्थायी उपयोग के लिए दी गई किसी वस्तु को न हटाएगा, न नष्ट या बेकार करेगा और न ही सम्पत्ति के लिए दिए गए प्रदाय या सेवा को बन्द करेगा या बन्द करवाएगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

20. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस द्वारा या इस अधिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी ।

तद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

21. (1) इस अधिनियम या तद्धीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या होने के लिए सम्भाव्य किसी नुकसानी के लिए, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, सरकार या सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।

22. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी न्यायालय को, किसी ऐसे मामले में जिसमें सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारण के लिए सशक्त है, अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा आदेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

अपराधों के लिए शास्ति ।

23. जो कोई भी इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में बाधा डालेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और जब अपराध जारी रहने वाला भंग हो, तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना ।

24. सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक मध्यस्थ और सरकार द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सशक्त प्रत्येक अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन करते समय, भारतीय दण्ड संहिता 1860, (1860 का 5) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

25. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए, उपबन्ध किया जा सकेगा,

अर्थात :—

(क) धारा 3 या धारा 6 के अधीन जांच करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त, संदाय का ढंग और ऐसे प्रतिकर की शर्तें;

(घ) इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के समक्ष और अपील में कार्यवाहियों की लागत के प्रभाजन में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त;

(ङ) नोटिस और आदेशों की तामील की रीति;

(च) किराया और उसकी वसूली; और

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के, अवसान से पूर्व विधान सभा या उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कतिपय अधिग्रहणों और अर्जनों का विधिमान्यकरण ।

26. (1) समस्त स्थावर सम्पत्ति, जिसका सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी लोक प्रयोजन के लिए, अधिगृहीत किया जाना तात्पर्यित है, और जिसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व, सरकार या सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या अधिभोग किया गया था, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अधिनियम की धारा 3 क अधीन सम्यक रूप से अधिगृहीत सम्पत्ति समझी जाएगी । और ऐसा अधिग्रहण, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सदैव विधिमान्य समझा जाएगा मानों कि यह अधिनियम अधिग्रहण की तारीख को और से प्रवृत्त रहा था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहण सम्यक् रूप से इस अधिनियम के अधीन किया गया था, और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अधिग्रहण की किसी अवधि के लिए ऐसी किसी सम्पत्ति के बारे में प्रतिकर के संदाय के लिए, सभी करार और अधिनिर्णय, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, विधिमान्य होंगे और सदैव विधिमान्य रहे समझे जाएंगे तथा प्रवर्तन में रहेंगे और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात अधिग्रहण की किसी भी अवधि के लिए उस सम्पत्ति से सम्बन्धी प्रतिकर के संदाय को लागू होंगे ।

(2) राज्य में तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति के अधीन, सरकार द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए किया गया स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक अधिग्रहण तात्पर्यित जिसका प्रारम्भ से ठीक पूर्व सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपयोग किया गया था या दखल लिया गया था, उस अधिनियमिति या आदेश में, जिसके अधीन अर्जन किया गया था, किसी त्रुटि या अविधिमान्यता के होते

हुए भी सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे विधिमान्य समझा जाएगा मानों कि उक्त अधिनियमिति या आदेश के उपबन्ध इस धारा में सम्मिलित और अधिनियमित किए गए थे और यह धारा अर्जन की तारीख को और से प्रवर्तन में रही थी ।

अधिगृहीत सम्पत्ति के सम्बन्ध के किराया या नुकसानी के भू-राजस्व के रूप में वसूल करने की शक्ति ।

27. (1) उन नियमों के अधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, किसी अधिगृहीत सम्पत्ति के बारे में, किराए के रूप में देय कोई राशि जो बकाया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति से उसी रीति में वसूल की जा सकेगी जिसमें भू-राजस्व की बकाया की जाती है ।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत सम्पत्ति के अनधिकृत अधिभोग में हो, सक्षम प्राधिकारी विहित रीति में, कथित सम्पत्ति के प्रयोग और अधिभोग के कारण हुई ऐसी नुकसानी निर्धारित कर सकेगा जैसी यह उचित समझे और डाक द्वारा या ऐसे अन्य रूप में नोटिस की तामील द्वारा, जैसा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा जो विहित किए जाएं, उस व्यक्ति को ऐसे समय में जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया हो, नुकसानी का संदाय करने का आदेश दे सकेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (2) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नुकसानी का संदाय करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, नुकसानी भू-राजस्व की बकाया की वसूली की रीति में वसूल का जा सकेगी ।

निरसन और व्यावृतियां ।

28. (1) प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब रिक्वीजीशनिंग ऑफ इम्मूवेबल प्रापर्टी (टैम्परेरी पॉवर) ऐक्ट, 1947 (1947 का 17), एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जो सम्पत्ति ऐसे निरसन से ठीक पूर्व उक्त अधिनियम में उपबन्धों के अधीन अधिग्रहण के अधीन थी, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, इस अधिनियम की धारा 3 क अधीन अधिगृहीत सम्पत्ति समझी जाएगी, और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसा लागू होंगे :—

(क) परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अधिग्रहण किसी कालावधि के लिए किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में प्रतिकर के संदाय क लिए सभी करार और अधिनिर्णय, जो एसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, प्रवृत्त बने रहेंगे और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात अधिग्रहण की किसी भी कालावधि के लिए उस सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रतिकर के संदाय पर लागू होंगे;

(ख) उक्त अधिनियम द्वारा या उसक अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत दिए गए कोई आदेश, जारी की गई अधिसूचनाएं या बनाए गए नियम भी हैं) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किए गए समझ जाएंगे, मानो कि उस दिन, जब ऐसी बात, या कार्रवाई की गई थी, यह अधिनियम प्रवृत्त था ।

(3) दि हिमाचल प्रदेश रिक्वीजिशनिंग ऐण्ड ऐक्विजीशन आफ इम्मूवेबल प्रापर्टी आर्डिनेंस, 1978 (1978 का 3) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएग, मानो कि यह अधिनियम 28 जुलाई, 1978 को प्रारम्भ हो गया था ।

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।